

कार्यालय जिलाधिकारी बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5347/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 26/03/2025

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-बाँदा में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23 में दिये गये निर्देशानुसार अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा-पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि दिनांक 05.04.2025 से 11.04.2025 को सायं 5:00 बजे तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम/एरिया कोड	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमायें	जियो-कोऑर्डिनेट्स	उप खनिज का नाम	DSR के आधार पर शासनादेशानुसार खनन योग्य निर्धारित / आंकलित उपखनिज की मात्रा (घन मी० में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर x निर्धारित/आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नरैनी	लहुरेडा / 1553830202	195/1 का भाग, 191 व 3	81.54	उत्तर-केन नदी दक्षिण-गाटा सं०- 217, 198, 196, 197, 190, 55 पूर्व-सीमाग्राम-जमुवारा पश्चिम- केन नदी का शेष भाग	A-25°9' 18.920" N 80° 23' 16.533" E B-25° 9' 25.443" N 80° 23' 20.642" E C-25° 9' 29.827" N 80° 23' 30.629" E D-25°9' 28.816" N 80° 23' 32.059" E E-25° 9' 29.759" N 80° 23' 33.439" E F-25° 9' 29.744" N 80° 23' 39.342" E G-25°9' 33.565" N 80° 23' 44.506" E H-25°9' 34.781" N 80° 23' 48.013" E I-25° 9' 36.742" N 80° 24' 5.888" E J-25° 9' 27.952" N 80° 24' 7.825" E K-25°9' 23.079" N 80° 23' 33.900" E L-25° 9' 20.872" N 80° 23' 27.633" E M-25°9' 19.621" N 80° 23' 18.963" E	बालू/ मोरम	177768	2,66,65,200	1,33,32,600
2.	अतर्रा	महुटा	876ख, 886क, 1481, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 2247, 2270, 2521, 2522, 2538, 2541ख,	51.89	ब्लॉक नं०-1 उ०-सीमा ग्राम बरछा व द०-नदी बागेन पू०-नाला ग्राम बरछा व प०-खसरा सं०-1483 से 1485 ब्लॉक नं०-2 उ०-नदी बागेन द०-खसरा सं०- 2670, 2675, 2681, 2677 पू०-नाला ग्राम बरछा व प०-नदी बागेन ब्लॉक नं०-3 उ०-नदी बागेन द०-खसरा सं०-1531	ब्लॉक नं०-1 (A) N-25°13'16.610" E-80°37'42.510" (B) N-25°13'13.530" E-80°37'45.410" (C) N-25°13'14.360" E-80°37'40.270" ब्लॉक नं०-2 (D) N-25°13'12.290" E-80°37'43.480" (E) N-25°13'11.710" E-80°37'42.960" (F) N-25°13'14.850" E-80°37'29.740" (G) N-25°13'9.750" E-80°37'26.940" (H) N-25°13'10.290" E-80°37'25.630" (I) N-25°13'16.350" E-80°37'29.090" ब्लॉक नं०-3 (J) N-25°13'12.400" E-80°37'25.080" (K) N-25°13'8.530" E-80°37'25.340" (L) N-25°13'10.130" E-80°37'24.240" ब्लॉक नं०-4 (M) N-25°13'3.120" E-80°37'8.890" (N) N-25°13'2.200" E-80°37'8.670" (O) N-25°12'59.150" E-80°37'0.740"	बालू/ मोरम	105000	1,57,50,000	78,75,000

			2577, 2599 व 2676		पू०-नदी बागेन प०-खसरा सं०-1504, 1506 ब्लाक नं०-4 उ०-नदी बागेन द०-नदी बागेन पू०-खसरा सं०- 2539, 2523 आदि प०-खसरा सं०-1920 व 1921 ब्लाक नं०-5 उ०-नदी बागेन द०-नदी बागेन पू०-नदी बागेन प०-खसरा सं०-2030, 2032 आदि ब्लाक नं०-6 उ०-खसरा सं०- 1962 द०-नदी बागेन पू०-2078, 2079 आदि प०-नदी बागेन, खसरा सं०-1835 ब्लाक नं०-7 उ०-नदी बागेन द०-नदी बागेन पू०-नदी बागेन प०-खसरा सं०-886 का शेष भाग ब्लाक नं०-8 उ०-खसरा सं०-2056 द०-सीमा ग्राम तेरा ब पू०-खसरा सं०-2048 से 2055 प०-नदी बागेन ब्लाक नं०-9 उ०-खसरा सं०-877 व 878 द०-खसरा सं०-874, 875 व सीमा ग्राम-तेरा(ब) पू०-नदी बागेन प०-876 का शेष भाग	(P) N-25°12'35.600" E-80°37'10.350" (Q) N-25°12'32.000" E-80°37'8.270" (R) N-25°12'32.400" E-80°37'7.690" (S) N-25°12'46.260" E-80°37'4.120" (T) N-25°12'56.820" E-80°36'56.410" ब्लाक नं०-5 (U) N-25°12'41.350" E-80°37'5.170" (V) N-25°12'41.660" E-80°37'5.950" (W) N-25°12'32.990" E-80°37'7.120" (X) N-25°12'33.390" E-80°36'59.340" ब्लाक नं०-6 (Y) N-25°12'35.390" E-80°36'46.260" (Z) N-25°12'38.570" E-80°36'33.570" (AA) N-25°12'33.360" E-80°36'21.220" (AB) N-25°12'41.350" E-80°36'30.070" ब्लाक नं०-7 (AC) N-25°12'33.270" E-80°36'18.530" (AD) N-25°12'29.850" E-80°36'18.950" (AE) N-25°12'28.010" E-80°36'11.950" ब्लाक नं०-8 (AF) N-25°12'26.190" E-80°36'13.010" (AG) N-25°12'21.640" E-80°35'58.340" (AH) N-25°12'23.700" E-80°36'0.360" ब्लाक नं०-9 (AI) N-25°12'32.510" E-80°36'2.770" (AJ) N-25°12'29.340" E-80°36'4.320" (AK) N-25°12'26.820" E-80°36'4.330" (AL) N-25°12'24.530" E-80°35'59.510" (AM) N-25°12'25.030" E-80°35'57.760" (AN) N-25°12'28.150" E-80°35'59.560" (AO) N-25°12'30.410" E-80°36'0.090" (AP) N-25°12'30.080" E-80°36'1.100" (AQ) N-25°12'31.710" E-80°36'2.190" (AR) N-25°12'32.060" E-80°36'1.660"				
3.	बांदा	बेंदाखादर/ 2163390203	2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं०-01)	51.89	उ०-खण्ड सं०-1 का उत्तरी सीमा गाटा सं०-1 द०-खण्ड सं०-1 का दक्षिणी सीमा पू०-खण्ड सं०-2 प०-खण्ड सं०-1 का पश्चिमी सीमा	A-25°42'25.68" N 80°36'40.62" E B-25°42'18.78" N 80°37'2.64" E C-25°42'29.10" N 80°37'5.04" E D-25°42'36.12" N 80°36'42.60" E	बालू/ मोरम	315000	4,72,50,000	2,36,25,000

4.	नरैनी	बरकोला कलां/ 1553810201	659, 724, 805	24.71	—	Block - 01 A- 25° 7' 19.600" N 80° 25' 54.030" E B- 25° 7' 19.350" N 80° 25' 53.320" E C- 25° 7' 18.790" N 80° 25' 55.930" E D- 25° 7' 17.820" N 80° 25' 56.900" E E- 25° 7' 16.740" N 80° 25' 56.660" E F- 25° 7' 16.410" N 80° 25' 57.060" E G- 25° 7' 14.570" N 80° 25' 58.170" E H- 25° 7' 9.300" N 80° 26' 2.300" E I- 25° 7' 6.900" N 80° 26' 5.310" E J- 25° 7' 5.860" N 80° 26' 7.280" E K- 25° 7' 6.900" N 80° 26' 7.730" E L- 25° 7' 6.930" N 80° 26' 7.640" E M- 25° 7' 6.730" N 80° 26' 7.520" E O- 25° 7' 7.370" N 80° 26' 6.170" E P- 25° 7' 9.870" N 80° 26' 2.980" E Q- 25° 7' 14.690" N 80° 25' 59.320" E R- 25° 7' 16.510" N 80° 25' 57.680" E S- 25° 7' 18.970" N 80° 25' 57.390" E T- 25° 7' 19.220" N 80° 25' 57.240" E U- 25° 7' 19.810" N 80° 25' 55.380" E V- 25° 7' 19.950" N 80° 25' 54.110" E Block - 02 A- 25° 7' 5.860" N 80° 26' 7.280" E B- 25° 7' 6.900" N 80° 26' 7.730" E B1- 25° 7' 6.530" N 80° 26' 9.184" E C- 25° 7' 5.176" N 80° 26' 12.159" E D- 25° 7' 3.706" N 80° 26' 17.416" E E- 25° 7' 5.680" N 80° 26' 19.288" E F- 25° 7' 10.657" N 80° 26' 19.236" E G- 25° 7' 14.990" N 80° 26' 18.960" E H- 25° 7' 20.428" N 80° 26' 22.130" E I- 25° 7' 22.350" N 80° 26' 22.817" E J- 25° 7' 25.315" N 80° 26' 26.984" E K- 25° 7' 24.836" N 80° 26' 29.413" E L- 25° 7' 23.684" N 80° 26' 31.741" E M- 25° 7' 22.940" N 80° 26' 34.142" E N- 25° 7' 25.595" N 80° 26' 37.082" E O- 25° 7' 27.010" N 80° 26' 37.630" E P- 25° 7' 26.961" N 80° 26' 38.362" E Q- 25° 7' 26.573" N 80° 26' 38.343" E R- 25° 7' 23.441" N 80° 26' 36.407" E S- 25° 7' 22.415" N 80° 26' 34.475" E T- 25° 7' 23.029" N 80° 26' 29.371" E U- 25° 7' 23.418" N 80° 26' 25.813" E V- 25° 7' 21.136" N 80° 26' 23.055" E W- 25° 7' 19.853" N 80° 26' 22.205" E X- 25° 7' 15.209" N 80° 26' 20.178" E Y- 25° 7' 5.685" N 80° 26' 20.361" E Z- 25° 7' 3.042" N 80° 26' 16.702" E A'- 25° 7' 4.445" N 80° 26' 11.634" E B'- 25° 7' 5.853" N 80° 26' 7.509" E C'- 25° 7' 5.757" N 80° 26' 7.440" E Block - 03 A- 25° 7' 33.791" N 80° 26' 39.296" E B- 25° 7' 33.852" N 80° 26' 38.143" E C- 25° 7' 39.042" N 80° 26' 39.034" E D- 25° 7' 42.758" N 80° 26' 42.749" E E- 25° 7' 42.703" N 80° 26' 45.489" E F- 25° 7' 40.039" N 80° 26' 50.718" E G- 25° 7' 39.873" N 80° 26' 50.779" E H- 25° 7' 38.556" N 80° 26' 56.294" E I- 25° 7' 39.169" N 80° 26' 59.841" E J- 25° 7' 45.438" N 80° 27' 0.294" E K- 25° 7' 49.003" N 80° 27' 0.507" E L- 25° 7' 48.568" N 80° 27' 5.449" E M- 25° 7' 47.523" N 80° 27' 8.672" E N- 25° 7' 46.375" N 80° 27' 8.157" E O- 25° 7' 47.828" N 80° 27' 3.481" E P- 25° 7' 39.274" N 80° 27' 1.661" E Q- 25° 7' 38.008" N 80° 26' 58.076" E R- 25° 7' 37.869" N 80° 26' 54.380" E S- 25° 7' 39.176" N 80° 26' 50.166" E T- 25° 7' 41.689" N 80° 26' 44.209" E U- 25° 7' 38.909" N 80° 26' 40.578" E	बालू/ मोरम	71589	1,07,38,350	53,69,175
5.	नरैनी	बरसण्डा मानुपर/ 1553840201	3/1/1 का भाग (खण्ड सं०-01)	51.89	—	A- 25° 8' 29.212" N 80° 21' 45.653" E B- 25° 8' 17.616" N 80° 21' 26.688" E C- 25° 8' 4.219" N 80° 21' 26.115" E D- 25° 8' 4.808" N 80° 21' 24.824" E E- 25° 8' 1.735" N 80° 21' 25.735" E F- 25° 8' 0.617" N 80° 21' 27.442" E G- 25° 7' 35.256" N 80° 21' 22.920" E H- 25° 7' 35.110" N 80° 21' 20.663" E I- 25° 8' 0.472" N 80° 21' 25.690" E J- 25° 8' 6.081" N 80° 21' 22.935" E K- 25° 8' 13.013" N 80° 21' 23.672" E L- 25° 8' 16.458" N 80° 21' 21.378" E M- 25° 8' 26.700" N 80° 21' 27.948" E N- 25° 8' 33.241" N 80° 21' 42.524" E O- 25° 8' 34.764" N 80° 21' 43.929" E	बालू/ मोरम	151176	2,26,76,400	1,13,38,200

6.	नरैनी	बरसण्डा मानुपर/ 1553840202	3/1/1 का भाग (खण्ड सं0-02)	51.89	—	A-25°8' 36.845" N 80° 22' 39.621" E B-25° 8' 39.658" N 80° 22' 14.223" E C-25° 8' 37.761" N 80° 22' 3.461" E D-25°8' 29.212" N 80° 21' 45.653" E E-25° 8' 31.950" N 80° 21' 44.147" E F-25° 8' 33.620" N 80° 21' 46.493" E G-25°8' 34.426" N 80° 21' 46.534" E H-25°8' 33.894" N 80° 21' 47.595" E I-25° 8' 35.097" N 80° 21' 47.784" E J-25° 8' 35.412" N 80° 21' 45.654" E K-25° 8' 42.753" N 80° 22' 5.009" E L-25° 8' 41.640" N 80° 22' 5.064" E M-25° 8' 41.722" N 80° 22' 6.064" E N-25° 8' 39.917" N 80° 22' 7.279" E O-25° 8' 40.380" N 80° 22' 9.790" E P-25° 8' 43.708" N 80° 22' 13.362" E Q-25°8' 42.229" N 80° 22' 34.943" E	बालू/ मोरम	151176	2,26,76,400	1,13,38,200
7.	नरैनी	शहपाटन / 1553900201	420, 530/2, 532, 709, 716	17.12	—	A-25° 8' 2.724" N 80° 27' 58.579" E B-25° 8' 1.787" N 80° 27' 58.735" E C-25° 7' 57.142" N 80° 27' 43.461" E D-25°7' 56.664" N 80° 27' 36.183" E E-25° 7' 54.489" N 80° 27' 32.313" E F-25° 7' 42.991" N 80° 27' 26.757" E G-25°7' 40.847" N 80° 27' 18.916" E H-25° 7' 47.088" N 80° 27' 7.511" E I-25° 7' 47.762" N 80° 27' 7.970" E J-25° 7' 42.067" N 80° 27' 19.294" E K-25°7' 45.491" N 80° 27' 26.410" E L-25° 7' 57.813" N 80° 27' 32.871" E M-25°7' 59.171" N 80° 27' 47.667" E N-25° 8' 0.733" N 80° 27' 52.736" E	बालू/ मोरम	50614	75,92,100	37,96,050

1. अनुज्ञा-पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहाँ वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-निविदा में भाग लेने पूर्व आंकलित उपखनिज बालू, मोरम, की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के लिये मौके पर निरीक्षण कर बिड़र स्वयं आश्वस्त हो लें। निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी :-
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी(आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से "etenders.up.nic.in" पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा "etenders.up.nic.in" के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आईडी0 व पासवर्ड बनायेगे।
 - (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

प्रारूप - 2 की सूचनायें :-

- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0 नं0।
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
- ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
- च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
- छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
- ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
- झ. कम्पनी की देश में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण-पत्र :-

- क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
- ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- ग. पैन कार्ड
- घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण-पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ-पत्र।
- ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
7. विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त निविदाओं को दिनांक **16.04.2025 अपराह्न 12:30 बजे** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि **15.04.2025 समय सायं 05:00 बजे तक खनिज कार्यालय, बांदा में उपलब्ध करानी होगी**। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

(6)

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।
17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. अनुज्ञाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। अनुज्ञाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। अनुज्ञाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी। समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
20. अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
21. अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएं नहीं करेगा।
22. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
23. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
24. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
25. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञाधारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा समाप्त किया जा सकता है।
26. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
27. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।
28. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारकों को मान्य होगा।

(जे0 रीमा)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन०आई०सी०, लखनऊ।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद बांदा।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बांदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बांदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. खान अधिकारी, बांदा को क्वैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
11. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बांदा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

J. Nulke
26/03/25
जिलाधिकारी,
बांदा।